क्रम संख्या–22 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 29 मार्च, 2017 ई0

चैत्र 08, 1939 शक सम्वत्

### उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 100 / XXXVI(3) / 2017 / 18(1) / 2017

देहरादून, 29 मार्च, 2017

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन माननीय राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2017" पर दिनांक 29 मार्च, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

# उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2017

(अधिनियम संख्या 01 वर्ष 2017)

राज्य की संचित निधि में से 01–04–2017 से 31–07–2017 की अवधि में सेवाओं पर व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2017 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2017–18 के लिये रु0160487350000का दिया जाना

2. उत्तराखण्ड की संचित निधि में से 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष दौरान अनुसूची के स्तम्भ– 2 विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, रुपये 160487350000 **(रुपये सोलह हजार अड़तालीस करोड़ तिहतर लाख पचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ–8 और 10 में विनिर्दिष्ट मतदेय तथा स्तम्भ–9 और 11 में विनिर्दिष्ट भारित धनराशियों का योग है, निकाली जा सकेगी।

विनियोग

3– इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से निकाले जाने के लिए प्राधिकृत धनराशि, उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जायेगी।

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है (धनराशि हजार रूपये में)

| अनुदान/कम तथा उसका विवरण | कुल मांग | | | | योग | 01 अप्रैल से 31 जुलाई, 2017 हेतु आवश्यक धनराशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | | पूंजी | | योग | राजस्व | | पूंजी | | योग (8+9+10+11) |
| | मतदेय | भारित | मतदेय | भारित | (3+4+5+6) | मतदेय | भारित | मतदेय | भारित | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01-विधान सभा | 361726 | 23009 | 102000 | 0 | 486735 | 152227 | 13433 | 34000 | 0 | 199660 |
| 02-राज्यपाल | 0 | 102637 | 0 | 0 | 102637 | 0 | 47762 | 0 | 0 | 47762 |
| 03-मंत्रिपरिषद् | 284600 | 0 | 50000 | 0 | 334600 | 100866 | 0 | 16667 | 0 | 117533 |
| 04-न्याय प्रशासन | 1505512 | 339250 | 185002 | 0 | 2029764 | 692696 | 152582 | 61669 | 0 | 906947 |
| 05-निर्वाचन | 269759 | 0 | 0 | 0 | 269759 | 100170 | 0 | 0 | 0 | 100170 |
| 06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन | 16933509 | 23923 | 7332004 | 0 | 24289436 | 6392587 | 12179 | 5110671 | 0 | 11515437 |
| 07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें | 67848063 | 47350720 | 4464003 | 25432300 | 145095086 | 29346865 | 17976310 | 2262005 | 7205300 | 56790480 |
| 08-आबकारी | 229408 | 0 | 0 | 0 | 229408 | 110431 | 0 | 0 | 0 | 110431 |
| 09-लोक सेवा आयोग | 78544 | 234855 | 0 | 40000 | 353399 | 43471 | 112587 | 0 | 13333 | 169391 |
| 10-पुलिस एवं जेल | 16691511 | 0 | 230003 | 0 | 16921514 | 8699610 | 0 | 76671 | 0 | 8776281 |
| 11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति | 60818175 | 0 | 2574926 | 0 | 63393101 | 28395188 | 0 | 858329 | 0 | 29253517 |
| 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण | 17582503 | 0 | 985519 | 0 | 18568022 | 7491025 | 0 | 344510 | 0 | 7835535 |
| 13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास | 6621419 | 0 | 4072002 | 0 | 10693421 | 2243968 | 0 | 1357335 | 0 | 3601303 |
| 14-सूचना | 380770 | 0 | 12000 | 0 | 392770 | 141199 | 0 | 4000 | 0 | 145199 |
| 15-कल्याण योजनायें | 12024465 | 0 | 583544 | 0 | 12608009 | 4918405 | 0 | 219222 | 0 | 5137627 |
| 16-श्रम और रोजगार | 2014883 | 0 | 202500 | 0 | 2217383 | 845938 | 0 | 67500 | 0 | 913438 |
| 17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान | 6546299 | 0 | 190305 | 0 | 6736604 | 2476366 | 0 | 63438 | 0 | 2539804 |
| 18-सहकारिता | 290763 | 0 | 62500 | 0 | 353263 | 130223 | 0 | 62500 | 0 | 192723 |
| 19-ग्राम्य विकास | 11031518 | 0 | 8145036 | 0 | 19176554 | 4217167 | 0 | 2715013 | 0 | 6932180 |
| 20-सिंचाई एवं बाढ़ | 4372691 | 0 | 2456803 | 0 | 6829494 | 1993758 | 0 | 820271 | 0 | 2814029 |
| 21-ऊर्जा | 83036 | 0 | 2410002 | 0 | 2493038 | 27804 | 0 | 2410002 | 0 | 2437806 |
| 22-लोक निर्माण कार्य | 6921293 | 73000 | 12442000 | 0 | 19436293 | 3435899 | 24333 | 4160667 | 0 | 7620899 |
| 23-उद्योग | 1402996 | 0 | 90103 | 0 | 1493099 | 529580 | 0 | 30037 | 0 | 559617 |
| 24-परिवहन | 458503 | 0 | 281008 | 0 | 739511 | 198212 | 0 | 93676 | 0 | 291888 |
| 25-खाद्य | 2293576 | 0 | 107360 | 0 | 2400936 | 826461 | 0 | 35788 | 0 | 862249 |
| 26-पर्यटन | 467114 | 0 | 623004 | 0 | 1090118 | 168115 | 0 | 214336 | 0 | 382451 |
| 27-वन | 6160774 | 0 | 529508 | 0 | 6690282 | 2686422 | 0 | 251175 | 0 | 2937597 |
| 28-पशुपालन संबंधी कार्य | 2459124 | 0 | 43852 | 0 | 2502976 | 1128834 | 0 | 14619 | 0 | 1143453 |
| 29-औद्यानिक एवं रेशम विकास | 2252670 | 8242 | 0 | 0 | 2260912 | 956758 | 3168 | 0 | 0 | 959926 |
| 30-अनुसूचित जातियों का कल्याण | 8620873 | 0 | 2083791 | 0 | 10704664 | 3075279 | 0 | 809937 | 0 | 3885216 |
| 31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण | 2710716 | 0 | 812961 | 0 | 3523677 | 982408 | 0 | 324393 | 0 | 1306801 |
| योग | 259716793 | 48155636 | 51071736 | 25472300 | 384416465 | 112507932 | 18342354 | 22418431 | 7218633 | 160487350 |
| राजस्व / पूंजी का कुल योग | 307872429 | | 76544036 | | | 130850286 | | 29637064 | | |
| महायोग (कुल मांग एवं आवश्यक मांग) | 384416465 | | | | | 160487350 | | | | |

आज्ञा से,

भारत भूषण पाण्डेय,
अपर सचिव।

# उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद– 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय। राज्य द्वारा विविध व्यय चुकाने के निमित्त राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है, अतः–

इस विधेयक में उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में प्रथम चार माह हेतु उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था है।

वित्त मंत्री